# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
## पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
## राजस्व प्रार्थना पत्र 34/2016

1. भंवरलाल पुत्र बालू तेली
2. श्रीमति सीता पत्नी श्री नारायण तेली
3. नरायण पुत्र श्री लादू तेली
तीनों जाति तेली एवं निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

.............प्रार्थीगण

1. शंकर पुत्र श्री रघुनाथ ब्राम्हण
2. बालू पुत्र श्री मोहन ब्राम्हण
3. हगामीलाल पुत्र हरकचन्द ब्राम्हण
4. गंगासिंह पुत्र औंकारसिंह राजपूत
5. जेठू पुत्र श्री हरलाल माली
सभी निवासीगण ग्राम जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर जिला अजमेर।

..............अप्रार्थीगण

## राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितीय पटवार मंडल व भू० अ० नि० क्षेत्र जालिया द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख० न० 2995 रक्बा 03–10–0, 2999 रक्बा 4–03–00, 3000 रक्बा 2–14–10, 3001 रक्बा 0–18–00, 3002 रक्बा 0–17–00 किता 5 रक्बा 12–02–10 तथा 3001/6650 रक्बा 0–04–00 3002/6551 रक्बा 0–1–10 कुल रक्बा 0–5–10 बीघा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमियां है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थीगण को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम जालिया द्वितीय की जमाबंदी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 405 व 926 में क्रमशः ख० न० 2995 रक्बा 03–10–0, 2999 रक्बा 4–03–00, 3000 रक्बा 2–14–10, 3001 रक्बा 0–18–00, 3002 रक्बा 0–17–00 किता 5 रक्बा 12–02–10 तथा 3001/6650 रक्बा 0–04–00 3002/6551 रक्बा 0–1–10 कुल रक्बा 0–5–10 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

### आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित प्रश्नगत आराजी ख० न० 2995 रक्बा 03–10–0, 2999 रक्बा 4–03–00, 3000 रक्बा 2–14–10, 3001 रक्बा 0–18–00, 3002 रक्बा 0–17–00 किता 5 रक्बा 12–02–10 तथा 3001/6650 रक्बा 0–04–00 3002/6551 रक्बा 0–1–10 कुल रक्बा 0–5–10 बीघा में मौका कमीश्नर रु 2000/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.16 16:52:50 IST
Reason: SelfAttested